भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:-- **Date:**03/12/2020

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुए संशोधन पर जनता के लिए सूचना

संदर्भ सं / Ref. No: दिनांक / Date:03-12-2020

प्रेस विज्ञप्ति

PRESS RELEASE

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुए संशोधन पर जनता के लिए सूचना

Information to the public on revision in Health Insurance Premium

मीडिया में सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दरों में की गई बढ़ोतरी के बारे में कुछ रिपोर्टें हैं। कुछ समाचारों में आईआरडीएआई द्वारा हाल ही में किए गए कुछ विनियामक पहलों के लिए के कारण स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुई वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ताओं को मूल रूप से अनुमोदित प्रीमियम दरों के आधार प्रीमियम को +/- 5 प्रतिशत तक परिवर्तन करने की अनुमति दी गई थी ताकि मौजूदा उत्पादों के समेकित परिवर्तन की लाभप्रदता और संधारणीयता को सुनिश्चित करने हेतु एक बार के उपाय के रूप में अपवर्जनों के मानकीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा सके। 30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार, 388 उत्पादों में से सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा केवल 55 उत्पादों के मामलों में विद्यमान दरों में 5% तक की प्रीमियम में वृद्धि की गई थी।

There are some reports in the media about hike in health insurance premium rates by general and health insurers. Some of the news items attributed the increase in health insurance premiums to certain recent regulatory initiatives taken by IRDAI. In this regard it is clarified that insurers were permitted to change the base premium upto +/- 5 per cent of originally approved premium rates in order to comply with the guidelines on standardization of exclusions as a onetime measure for seamless transition of existing products to ensure viability and sustainability. As on 30th September, 2020, out of 388 products, premiums were increased by general and health insurers upto 5% of the then prevailing rates only in case of 55 products.

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने उपगत दावों के अनुभव के आधार पर, उनके संबंधित उत्पादों के आवधिक संशोधन के भाग के रूप में वर्ष के दौरान 30 नवंबर, 2020 तक सामान्य/स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के केवल 5 स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में प्रीमियम में 5% से अधिक संशोधन को मंजूरी दे दी है।

Further, the Authority has cleared revision in premium beyond 5%in respect of only 5 health insurance products of general / health insurers during the year upto 30th November, 2020 as part of periodical modification of their respective products, based on the incurred claims experience.